लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्रमांक/ स्था.4/डी/ जी.पी.एफ/09/ 772 भोपाल, दिनांक 28-7-09

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,

मध्यप्रदेश।

विषयः– अंतिम विकर्षण की 75 प्रतिशत राशि का भुगतान किये जाने विषयक्।

संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ/ 5/ 2/ 2004/ नियम / चार, दिनांक 23 दिसम्बर 2009.

वित्त विभाग के संदर्भित पत्र में सामान्य भविष्य निधि नियमों में किये गये संशोधन नियम 16 –बी (दो) उप नियम (2) में उल्लेख है कि –

" सक्षम प्राधिकारी किसी विशेष कारण के लिए वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दूसरे वर्ष के अंत में अभिदाता के खाते में बकाया शेष राशि का 75 प्रतिशत तक स्वीकृत कर सकेगा । विशेष कारणों से आहरण हेतु अभिदाता को पूर्ण विवरण एवं सबूत प्रस्तुत करने होगें । अभिदाता को इस उप नियम के अधीन आहरण के लिए " सक्षम प्राधिकारी को अधिक आहरण के कारणों से संतुष्ट करना होगा । अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए विशेष कारणों से आहरण हेतु विभागाध्यक्ष एवं राजपत्रित कर्मचारियों के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम प्राधिकारी होगें ।"

उक्त के कम में जिले में कार्यरत् कर्मचारियों/अधिकारियों के कुछ प्रकरण सामान्य भविष्य निधि से अंतिम विकषर्ण हेतु संचालनालय में प्राप्त हुए है । प्रकरणों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि प्राचार्य /जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा बिना परीक्षण किये प्रकरणों को लोक शिक्षण संचालनालय को प्रस्तुत कर दिया गया है । सामान्य भविष्य निधि के कुछ प्रकरणों को प्राचार्य द्वारा सीधे संचालनालय को प्रस्तुत कर दिया गया है जो कि नियमानुसार एवं उचित नहीं है । अतः आप अपने जिले के समसत प्राचार्यो /संस्था प्रमुखों को निर्देशित करें कि सामान्य भविष्य निधि के ऐसे प्रकरण जिनमे स्वीकृति विभागाध्यक्ष से प्राप्त करनी है वे आपके माध्यम से निम्नानुसार जानकारी सहित संचालनालय को प्रस्तुत करें :–

1– जी.पी. पास बुक की सत्यापित छायाप्रति ।

2– महालेखाकार ग्वालियर द्वारा प्रदत्त वर्तमान एवं पूववर्ती वर्ष की जी.पी.एफ. स्लिप ।

3– आवेदन पूर्ण विवरण सहित निर्धारित प्रारूप में ।

4– किन कारणों से सामान्य भविष्य निधि से अंतिम विकषर्ण 75 प्रतिशत चाहा जा रहा है, का पूर्ण विवरण एवं सबूत प्रस्तुत करें ।

5– पिछली बार सामान्य भविष्य निधि से अंतिम विकषर्ण कब निकाला गया था उसकी तिथि एवं प्रयोजन । यदि आवेदन के दिनांक से एक वर्ष में सामान्य भविष्य निधि से अंतिम विकषर्ण नहीं लिया गया है तो उसका प्रमाण संस्था प्रमुख द्वारा लिया जाये।

6— यदि आवेदक द्वारा पुत्र एवं पुत्रियों के विवाह हेतु सामान्य भविष्य निधि से अंतिम विकषर्ण लिया जा रहा हो तो उसके परिवार की जानकारी मय आयु सहित प्रस्तुत करें ।

संस्था प्रमुखों के द्वारा आपके कार्यालय में सामान्य भविष्य निधि के जो भी प्रकरण 75 प्रतिशत अंतिम विकषर्ण हेतु प्राप्त होते है उस संबंध में आप निम्नानुसार कार्यवाही करें—

1— संचालनालय में केवल वे ही प्रकरण स्वीकृति हेतु भेजे जावें जो संदर्भित पत्र में उल्लिखित नियम की परिधि में आते हों। इन प्रकरणों को भेजने के पूर्व आहरण के कारणों एवं संचालनालय भेजने के औचित्य का पूर्ण परीक्षण करलें एवं संचालनालय भेजते समय इन तथ्यों का उल्लेख अवश्य करें।

2— प्राप्त प्रकरणों का पंजीकरण कर पंजीकरण तिथि के 10 दिवस की समय सीमा में संचालनालय को प्रकरण भिजवाना सुनिश्चित करें ।

3— शासन निर्देशानुसार ही पात्रताधारी कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के प्रकरण परीक्षण कर सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित करने के उपरांत ही संचालनालय में भेजे जावे ।

आयुक्त
लोक शिक्षण,म0प्र0

पृष्ठां0 क्रमांक/ स्था.4/डी/ जी.पी.एफ/09/ 773 भोपाल, दिनांक 28-7-09

प्रतिलिपिः—

1— प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल ।

2— महालेखाकार, ग्वालियर

3— आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र,

4— आयुक्त कोष एवं लेखा म0प्र0 भोपाल

5— समस्त संभागीय संयुक्त संचालक , कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश ।

6— समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म0प्र0 ।

7— समस्त कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

8— सहायक संचालक लेखा / वित्त (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ ।

9— सहायक संचालक स्था.—1,2 तथा 3 (स्थानीय) की ओर सूचनार्थ ।

आयुक्त
लोक शिक्षण,म0प्र0